

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

वोटर आईडी कार्ड पर पता कैसे बदले ? जाने पूरा ऑनलाइन प्रोसेस और जरूरी जानकारी

Publisher

Published on 19 Nov 2025



भारत में वोटर आईडी कार्ड नागरिकों की पहचान और मतदान अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। चुनाव आयोग द्वारा जारी यह पहचान पत्र न सिर्फ चुनावों में मतदाता की पहचान साबित करता है, बल्कि कई सरकारी कार्यों में भी पता, उम्र और पहचान को सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोटर आईडी को आधिकारिक रूप से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र यानी EPIC कहा जाता है। यह हर उस भारतीय नागरिक को जारी किया जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। समय बदलने के साथ लोगों की नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से निवास स्थान में बदलाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है, और ऐसे में वोटर आईडी कार्ड में पता बदलना भी बहुत जरूरी हो जाता है ताकि नागरिक सही बूथ पर मतदान कर सकें।

पहले वोटर आईडी कार्ड में सुधार या पता परिवर्तन करने के लिए कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। भारत का चुनाव आयोग नागरिकों को अपने वोटर कार्ड की सभी जानकारीयाँ ऑनलाइन अपडेट करने का सरल विकल्प प्रदान करता है। इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर घर बैठे ही एड्रेस अपडेट कर सकता है और पूरा प्रोसेस बेहद आसान है।

पता बदलने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले नागरिक को नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल यानी NVSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद होमपेज पर मौजूद “निवास स्थान परिवर्तन/मौजूदा मतदाता सूची में EPIC” विकल्प पर क्लिक करना होता है। यहीं से फॉर्म 8 का चयन करने पर नागरिक को एक नया डिजिटल पेज मिलता है, जहां वे अपने वोटर आईडी के सभी आवश्यक विवरण अपडेट कर सकते हैं।

फॉर्म 8 में जानकारी भरते समय नागरिक को अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर भारतीय निवासी मतदाता का विकल्प चुनना होता है। इसके बाद आधार नंबर, ईमेल पता और मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारीयाँ दर्ज करनी पड़ती हैं। पता बदलने के लिए नए एड्रेस को संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों के साथ अपलोड करना बेहद जरूरी है। आमतौर पर आधार कार्ड, किराया समझौता, बिजली बिल, पानी बिल, गैस बुकिंग, बैंक पासबुक या सरकारी जारी कोई एड्रेस प्रूफ मान्य माना जाता है।

फॉर्म में सारी जानकारी भरने और जरूरी दस्तावेज जोड़ने के बाद नागरिक को कैप्चा कोड दर्ज कर आवेदन सबमिट कर देना होता है। आवेदन जमा होने के बाद पोर्टल पर एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जिसकी मदद से व्यक्ति अपने आवेदन की स्थिति कभी भी ट्रैक कर सकता है। आवेदन की जाँच पूरी हो जाने पर चुनाव आयोग द्वारा अपडेट किया गया पता मतदाता सूची में दर्ज कर दिया जाता है, और वोटर आईडी कार्ड भी नए पते के अनुसार अपडेट हो जाता है।

इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि नागरिक को किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरा सिस्टम पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध है। चुनाव आयोग लगातार मतदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि किसी नए स्थान पर शिफ्ट होने के बाद आम नागरिक को मतदान अधिकार का उपयोग करने में कोई परेशानी न आए।

देश में होने वाले चुनावों के दौरान सही मतदान केंद्र पर नाम दर्ज होना बेहद जरूरी है। यदि व्यक्ति का पता बदला हुआ है लेकिन वोटर सूची में पुराना पता दर्ज है, तो वह अपने नए बूथ पर मतदान नहीं कर पाएगा। इसलिए एड्रेस अपडेट करना हर नागरिक के लिए एक अहम प्रक्रिया बन जाती है।

ऑनलाइन पोर्टल के कारण आज यह प्रक्रिया मिनटों में पूरी की जा सकती है। चुनाव आयोग का यह कदम डिजिटल भारत की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जो नागरिकों की सुविधाओं को और अधिक सुगम बनाता है। इस सुविधा का उपयोग कर लाखों नागरिक अपने वोटर आईडी कार्ड में पता परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित तरीके से पूरा कर सकते हैं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.